प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। उपस्थित प्रार्थी के अधिवक्ता को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर जालोर ने अपील संख्या 23/2018 में अपने पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.9.2018 के द्वारा रेस्पोडेन्टस के पक्ष में स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण संख्या 1360 ग्राम दुठवा को बहाल रखे जाने का आदेश पारित किया गया है वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धातों के विपरित है क्योकि अपीलाधीन नामान्तरकरण सभी पक्षकारान को बिना सुने एवं वारिसान की जॉच किये ही स्वीकृत किया गया है ऐसे में न्यायहित मे अपीलाधीन आदेश की पालना व प्रभाव को स्थगित किया जावे।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया तथा स्थगन प्रार्थना पत्र एवं अपीलाधीन आदेश अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट के हक में प्रथम दृष्टया सुविधा व सन्तुलन का मामला नहीं बनता है क्योकि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1360 जो कि मृतक सहखातेदार के समस्त वारिसान की जॉच पश्चात उनके पक्ष में स्वीकृत किया गया है,जिसमें प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती है। इसके अतिरिक्त अपीलान्टस की ओर से अपीलाधीन आदेश पर स्थगन लिये जाने बाबत कोई ठोस आधार/तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। अतः प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर निर्णित होकर मूल पत्रावली के संलग्न हो।